आदेश पर की
बारे में टिप्पणी तारीख

(2)

उपायुक्त का न्यायालय, दुमका

रे०मि० (पी०ए०) अपील सं० 41/2021–22

सुनील मरांडी...अपीलकर्त्ता।

बनाम

वोदीनाथ मरांडी...उत्तरकारी।

आदेश

18.01.2022

यह रे०मि० (पी०ए०) वाद अनुमंडल पदाधिकारी, दुमका के पी०ए० वाद सं०–118/2020–21 में पारित आदेश दिनांक–15.09.2021 के विरूद्ध दायर किया गया है।

अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा अभिलेख में उपलब्ध–कागजातों का अवलोकन किया।

अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि मौजा–पोखरिया अंचल–मसलिया एक प्रधानी मौजा है। पिथो मरांडी मौजा के अंतिम प्रधान थे। अपीलकर्त्ता एवं उत्तरकारी दोनो ही पूर्व प्रधान के परपोता है। अपीलकर्त्ता द्वितीय पोता के पुत्र है तथा उत्तरकारी प्रथम पोता के पुत्र है। अंचल अधिकारी, मसलिया द्वारा अपीलकर्त्ता को प्रधान पद पर नियुक्ति हेतु अनुशंसा किया है किन्तु अनुमंडल पदाधिकारी, दुमका द्वारा उत्तरकारी को प्रधान पद पर नियुक्त किया गया, जो कि अंचल अधिकारी के अनुशंसा अनुकुल नहीं है। इस प्रकार अनुमंडल पदाधिकारी, दुमका द्वारा पारित आदेश एवं अंचल अधिकारी का प्रतिवेदन में विरोधाभाष है। ऐसी स्थिति में अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा पारित आदेश को विलोपित करते हुए वाद को पुर्नविचारार्थ इस आदेश के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि अंचल अधिकारी से स्पष्ट प्रतिवेदन कर तथा उभय पक्षों को सुनकर आदेश पारित किया जाय।

लेखापित एवं संशोधित

18/1/22
उपायुक्त,
दुमका।

18/1/22
उपायुक्त,
दुमका।

Digitally signed by RAVI SHANKAR SHUKLA
Date: 2022.12.05 16:59:05 +05:30
Location: 169.254.227.244